

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 2223727
फैक्स नं०-2224529

निविदा सूचना संख्या- 10/2022-23

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
2. निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 23-06-2022
3. निविदा कागजात बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक- 25-07-2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 29-07-2022 अपराह्न 05.00 बजे तक ।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक- 30-07-2022 को अपराह्न 03.00 बजे तक ।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 30-07-2022 को 03.30 बजे अपराह्न से ।
6. परिमाण विपत्र का मूल्य : Easypay.axisbank.co.in के द्वारा किया गया भुगतान ही स्वीकार होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा।
7. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान : (क) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय ।
(ख) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि०पु०भ०नि०नि०, गेट न०-2. पटना ।
(ग) सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल
8. निविदा प्राप्ति का स्थान : (क) रू० 3.50 लाख से नीचे की निविदा संबंधित कार्य प्रमण्डल में
(ख) रू० 3.50 लाख से उपर की निविदा बि०पु०भ०नि०नि०, मुख्यालय एवं अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि०पु०भ०नि०नि०, गेट न०-2. पटना ।
9. कार्य का विवरणी :- :

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ० नि० नि०, कार्य प्र०	प्राक्कलित राशि (लाख रू. में)	अग्रधन की राशि रू. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रू० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	जहानाबाद जिलान्तर्गत परसबिघा थाना का महिला शौचालय एवं थाना कार्यालय का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	पटना	9.39	18800	1250	2 माह
2.	बेतिया जिलान्तर्गत सिकटा थाना भवन एवं 20 सिपाही बैरक का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	8.87	17800	1250	2 माह
3.	बेतिया जिलान्तर्गत बलथर थाना में 20 सिपाही बैरक एवं चहारदिवारी, पहुँच पथ का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	8.41	16900	1250	2 माह
4.	बगहा जिलान्तर्गत पुलिस निरीक्षक बगहा अंचल के आवास एवं कार्यालय भवन/ चहारदिवारी का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	5.60	11200	1250	2 माह
5.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गन्नीपुर के प्रांगण में लगे भेपर लाईट, पोल अधिष्ठापन एवं ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन का कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	8.41	16900	1250	2 माह
6.	दरभंगा जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-13 में समदेष्टा आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	दरभंगा	6.54	13100	1250	2 माह
7.	पटना जिलान्तर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकरी पालीगंज, पटना के आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	पटना	9.15	18300	1250	2 माह
8.	सारण जिलान्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक (रिजर्व) के आवास परिसर में गार्ड रूम का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	3.73	7500	750	2 माह
9.	गया जिलान्तर्गत बि०वि०स०पु०-3, बोधगया में 4 अदद प्रशिक्षुओं के क्लास रूम का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य।	मगधप्र० कैम्प डेहरीऔनसोन	9.34	18700	1250	2 माह
10.	भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस उप-महानिरीक्षक, भागलपुर का आवासीय परिसर की चहारदिवारी का मरम्मत कार्य।	भागलपुर	8.87	17800	1250	2 माह
11.	पटना जिलान्तर्गत बि०वि०स०पु०-16, पटना में प्रशिक्षुओं हेतु शौचालय, बी० ब्लॉक का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	पटना	2.30	4600	500	2 माह

कृ०प०उ०...2/

(Handwritten signature and date)

12.	पटना जिलान्तर्गत बि0वि0स0पु0-16, पटना में जेनरेटर शेड का मरम्मत कार्य।	पटना	2.32	4700	500	2 माह
13.	पटना जिलान्तर्गत बि0वि0स0पु0-16, पटना में प्रशिक्षु हेतु पाकशाला का मरम्मत कार्य।	पटना	2.33	4700	500	2 माह
14.	भागलपुर जिलान्तर्गत सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	भागलपुर	9.34	18700	1250	2 माह
15.	भागलपुर जिलान्तर्गत सहायक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के आवास में एक अदद 400 फीट डीप बोरिंग एवं अधिष्ठापन का कार्य।	भागलपुर	3.73	7500	750	2 माह
16.	भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में आवास सं0-सी0बी0-41-42 का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	भागलपुर	6.77	13600	1250	2 माह
17.	बाँका जिलान्तर्गत बाँसी थाना का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य।	भागलपुर	8.47	17000	1250	2 माह
18.	भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में गंगा बैरक का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य। (पुर्ननिविदा)	भागलपुर	1.87	3800	500	2 माह
19.	सहरसा जिलान्तर्गत पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा के आवास की विद्युतिकरण सहित मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कार्य। (पुर्ननिविदा)	पूर्णियाँ	2.49	5000	750	2 माह
20.	मधेपुरा जिलान्तर्गत टैगराहा ओ0 पी0 थाना में ग्रेड-1 थाना भवन का विद्युतिकरण कार्य। (पुर्ननिविदा)	पूर्णियाँ	0.67	1400	500	2 माह
21.	भागलपुर जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के आवासीय /कार्यालय का विद्युतिकरण सहित मरम्मत एवं समरसेबल कार्य।	भागलपुर	8.87	17800	1250	2 माह

10. निविदा वैधता की अवधि 60 दिन होगी।

11. कोई भी संवेदक जो समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं (स्थानीय क्षेत्र के लिए निबंधित निबंधन सिर्फ स्थानीय कार्य के लिए मान्य होगा), परन्तु कार्य आवंटन आदेश होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतिकरण कार्य के लिए विद्युतिकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।

13. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है। इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है।

14. ऐसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं :- (i) जिनके निबंधन को निलंबित किया गया है या जिनका नाम काली सूची में दर्ज है, (ii) जिन पर निर्मित/निर्माणाधीन भवनों में मुख्यालय से गठित जाँच दल द्वारा गुणवत्ता से संबंधित त्रुटियाँ प्रतिवेदित हो।

15. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।

16. परिमाण विपत्र का मूल्य easypay.axisbank.co.in (Category-others) online भुगतान करने के उपरान्त प्राप्त Challan प्रस्तुत करने पर स्वीकार होगा। भुगतान से संबंधित link website (bpbcc.co.in) पर भी उपलब्ध है।

17. निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी तथा संबंधित नियम एवं शर्तें लागू होगी।

18. परिमाण-विपत्र बिक्री के समय संवेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :- आयकर पैन नं०, GST निबंधन, उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र।

19. निविदा के साथ भी निम्नलिखित सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।


(i) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र।

(ii) कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(iii) पैन कार्ड की छायाप्रति।

(Handwritten signature and text)

- (iv) GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
(v) वैध चरित्र प्रमाण पत्र।
(vi) अग्रधन की राशि (EMD)
(vii) शपथ पत्र मूल में
20. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
21. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/ बैंक ड्राफ्ट/ किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, निविदा आमंत्रित करने की तिथि के बाद का बना हुआ ही मान्य होगा। पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। निविदा के साथ अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा ग्रुप सं० अंकित कर समर्पित किया जाय।
22. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ अभिलेख में देखी जा सकती है।
23. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा।
24. निविदा कागजात अध्याय-6 कड़िका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है। निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं संलग्न किये गये कागजात को अंकित विवरणी के अनुसार मिलान कर चेक लिस्ट पर हस्ताक्षर करेंगे एवं एक प्रति हस्ताक्षरित चेक लिस्ट प्राप्त करेंगे अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
25. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं यथा निदेशित अभिलेखों / उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
26. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलिभौति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे। किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
27. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 1 (एक) वर्ष होगा।
28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fees) एवं स्वामिसिं (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्आलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
29. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/निविदा तिथि का विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
30. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला से कराना अनिवार्य है।
32. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। कार्य से सम्बन्धित पूर्ण विवरणी परिमाण विपत्र में देखी जा सकती है। संबंधित कार्यों का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
33. संवेदक को कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
34. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं० 448/पटना दिनांक 16.01.2020 अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।
- a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।



- b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
35. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है-
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
- (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
- (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
36. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 140 1779 पटना, दिनांक- 23/6/22
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मोनिरिंग शाखा/ कार्य प्रमण्डल- पटना प्रमण्डल/पूर्णियाँ प्रमंडल/ भागलपुर प्रमण्डल/ दरभंगा प्रमण्डल/मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर/मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन एवं राजगीर प्रमण्डल, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 1779 पटना, दिनांक- 23/6/22
प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/कार्यपालक अभियन्ता, प्रमंडल- एवं मोनिरिंग/ विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 1779 पटना, दिनांक- 23/6/22
प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/बेतिया/बगहा/मुजफ्फरपुर/ पटना/ दरभंगा/वेशाली/ सारण/ गया/ भागलपुर/ बांका/ सहरसा एवं मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पुणे